राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान फोन न0 0141–2220963, ई–मेल: co.asha_nrhm@yahoo.com

क्रमांकः एफ21(120)/एनएचएम/आशा/आशा जीवन/2018–19/५०५ दिनांकः 21/12/2018

परिपत्र

आशा सहयोगिनियों हेतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

सयुक्त सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक F.no.7(84)/2018 NHM-I दिनांक 28.09.2018 के क्रम में राज्य में कार्यरत आशा सहयोगिनियों का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के अन्तर्गत जीवन बीमा करवाया जाना है। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें–

- राज्य में कार्यरत समस्त आशा सहयोगिनियों (आयु सीमा 21 से 50 वर्ष) का PMJJBY के अन्तर्गत जीवन बीमा करवाया जावेगा जिसके प्रिमियम का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा।
- PMJJBY के अन्तर्गत नांमाकन हेतु अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित है।
- विभाग द्वारा उन्ही आशा सहयोगिनियों के जीवन बीमा प्रिमियम का भुगतान किया जावेगा जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा समेकित बाल विकास सेवाएं में पत्र जारी करने की दिनांक को कार्यरत है अर्थात पत्र जारी करने की दिनांक तक संबंधित दोनो विभागों में से किसी भी विभाग द्वारा जिस आशा सहयोगिनी को पद से हटाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई हो उस आशा सहयोगिनी के जीवन बीमा के प्रिमियम का भुगतान विभाग द्वारा नही किया जावेगा।
- राज्य में कार्यरत जिन आशा सहयोगिनियों द्वारा वर्ष 2018–19 में उक्त योजना अन्तर्गत पंजीयन अथवा प्रिमियम का भुगतान, पत्र जारी करने की दिनांक से पूर्व में किया जा चुका है उनका दुबारा पंजीयन नही करवाया जाना है ऐसी आशाओं को भी प्रिमियम राशि रूपये 330/– प्रति आशा सहयोगिनी का पुनर्भरण प्रिमियम प्राप्ति रसीद/बैक पासबुक की प्रतिलिपी (जिस पर उक्त योजना के प्रिमियम भुगतान की प्रविष्टी अकिंत हो) प्रस्तुत करने पर किया जावें।
- विभाग द्वारा आशा सहयोगिनियों का जीवन बीमा 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' (PMJJBY) के अन्तर्गत करवाया जावेगा। अतः उक्त योजना में बीमित आशा सहयोगिनी की मृत्यु के उपरान्त नोमिनी को दिये जाने वाले परिलाभ PMJJBY के अनुसार संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देय होगें।
- उक्त योजना में बीमा बैंक द्वारा किया जावेगा। अतः आशा सहयोगिनियों के बैंक खाता जोकि आशा सॉफ्ट में दर्ज है उन्ही बैंक की संबंधित शाखाओं से PMJJBY के अन्तर्गत आशा सहयोगिनियों का जीवन बीमा करवाया जावें।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत निरन्तर जुडे रहने हेतु प्रतिवर्ष प्रिमियम का भुगतान निर्धारित किया गया है। विभाग द्वारा वर्ष 2018–19 में आशा सहयोगिनियों के उक्त योजना में जीवन बीमा की प्रिमियम राशि का पुनर्भरण किया जावेगा तथा आगामी वर्षो में भारत सरकार से वित्तीय सहयोग प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रिमियम राशि का पुनर्भरण किया जा सकेगा।

- उक्त योजना में आशा सहयोगिनी के जीवन बीमा करवाने में सहयोग हेतु 25 दिसम्बर 2018 से 10 जनवरी 2019 तक विशेष अभियान चलाया जावें जिसमे संबंधित पीएचसी हेल्थ सुपरवाईजर/एलएचवी द्वारा उक्त योजना में आशा सहयोगिनियों के पंजीकरण हेतु संबंधित बैंक से योजना के फार्म प्राप्त करने एवं भरने में सहयोग किया जावें।
- ब्लॉक हेल्थ सुपरवाईजर/खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि जिन सेक्टर स्वास्थ्य केन्द्रों पर पीएचएस तथा एलएचवी पदस्थापित नही है उस क्षेत्र की आशा सहयोगिनियों को सहयोग हेतु नजदीकी पीएचएस अथवा एलएचवी की जिम्मेदारी निर्धारित करायें साथ ही नियत समयावधी में कार्यरत समस्त आशा सहयोगिनियों को योजना में लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।
- जिला आशा समन्वयक समस्त ब्लॉक से सूचना संकलित कर दिनांक 15 जनवरी 2019 तक राज्य स्तर पर आशा अनुभाग में प्रस्तुत करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

विशिष्ठ शासन सचिव, चि.स्वा. एवं प.क.
एवं मिशन निदेशक,एनएचएम

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चि.स्वा. एवं प.क. विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
4. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, चि.स्वा. एवं प.क. व मिशन निदेशक, एनएचएम।
5. निजी सहायक, निदेशक–जन स्वास्थ्य।
6. निजी सहायक, निदेशक–आरसीएच।
7. निजी सहायक, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाऐं।
8. निजी सहायक, निदेशक–वित्त, एनएचएम।
9. निजी सहायक, परियोजना निदेशक–एनएचएम।
10. समस्त जिला कलक्टर।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
12. समस्त जिला उपनिदेशक आईसीडीएस।
13. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला आशा समन्वयक।
14. सर्वर रूम, एनएचएम।

निदेशक (आरसीएच)